

वित्तीय स्वीकृति आदेश

आपदा प्रबन्धन विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्रांक 3222-26 दिनांक 24.02.2022 के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले में विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किये जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किये जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग हेतु वर्ष 2022-23 के लिए अनुबंध आधार पर रखे गये मशीन विद मैन के लिए माह दिसम्बर 2022 की अवधि दिनांक 01.12.2022 से 31.12.2022 तक की बिल राशि 14071/- रुपये मैसर्स तेजस्विनी सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसीज, श्रीगंगानगर को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डॉ. हरीतिमा)

प्रभारी अधिकारी (सहायता)

अति० जिला कलक्टर, (प्रशासन)

श्रीगंगानगर

क्रमांक: सहायता/2023/

4021-25

दिनांक :

12-1-23

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 3222-26 दिनांक 24.02.2022 के सन्दर्भ में।
2. मैसर्स तेजस्विनी सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसीज, श्रीगंगानगर।
3. श्री हिमांशु नागपाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायता शाखा, श्रीगंगानगर।
4. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।

(डॉ. हरीतिमा)

प्रभारी अधिकारी (सहायता)

अति० जिला कलक्टर, (प्रशासन)

श्रीगंगानगर



राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
अ.प्र.एव.सहा./स्था./2012/ 3222-26

जयपुर, दिनांक 24/02/2022

प्रशासनिक स्वीकृति

राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेण्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदृढीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किए जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किए जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु एजेंसी के माध्यम से राज्य के 33 जिलों में 01-01 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर रखे जाने की आवश्यकता सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2022 से 28.03.2023 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह स्वीकृति वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.05.2014 में अंकित शर्तों के अधीन होगी।
2. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभासित होगा :-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01- सूखा

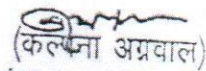
300- अन्य व्यय

(03)- (राहत कार्यों पर व्यय)

(07)- [प्रशिक्षण-व्यय]

29- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय

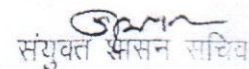
यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति संख्या 332200111 दिनांक 15.02.2022 के अनुसरण में जारी की जा रही है।


(कल्पना अग्रवाल)

संयुक्त शासन सचिव

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (मुगतान), आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।


संयुक्त शासन सचिव

Mob. 09784592739, 07597824113

PAN No. AAKFT2505R

E-mail:- tsamps0154@gmail.com

Regd. No. 12/70/2015



**M/S. TEJASWINI SECURITY & MENPOWER
SERVICES, SRI GANGANAGAR (RAJ.)**

(2 Jyoti Nagar, Hanumangarh Road, Near Andhvidhalya , Sri Ganganagar (Raj.) 335001)

Bill No. 2603/2022-23

Date:- 02.01.2023

[illegible]

Receiver Bank Account Detail :-

Bank Name : PNB Bank

LIC Building, Chalchowk Road, SGNR

Account Number : 16281131001949

IFSC Code : PUNB0162810

For Tejaswani Security & Manpower Services

Tejaswini Security & Manpower Services

Sri Ganganagar (Raj.)